भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2878

जिसका उत्तर 12.12.2024 को दिया जाना है

कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्ग

2878. श्री कोटा श्रीनिवास पूजारीः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कर्नाटक में उजीरे से पेरियाशांति वाया धर्मस्थल तक राष्ट्रीय राजमार्ग-73 के दो-लेन कार्य की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है और खतरनाक मोड़ों को हटाने का ब्यौरा क्या है;

(ख) चारमाडी गांव और चारमाडी घाट के ढालवाँ मोड़ 9 के बीच मंगलुरु-तुमकुरु राष्ट्रीय राजमार्ग 73 की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ग) करकला-माला गेट की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(घ) अगुम्बे घाट और चारमाडी घाट की दो लेन की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उपरोक्त परियोजनाएं कब तक पूरी हो जाएंगी?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ड.) कर्नाटक राज्य में धर्मस्थल होते हुए उजीरे से पेरियाशांति तक राष्ट्रीय राजमार्ग-73 को पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन में चौड़ा करने का कार्य 09.01.2024 को 613.65 करोड़ रुपये की धनराशि से स्वीकृत किया गया है तथा यह कार्य निविदा चरण में है।

राष्ट्रीय राजमार्ग -73 के किमी 75.00 से किमी 86.20 (चारमाडी घाट) तक पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन में चौड़ा करने का कार्य 19.01.2024 को 343.74 करोड़ रुपये की धनराशि से स्वीकृत किया गया है तथा 25.10.2024 को ठेकेदार को सौंप दिया गया है तथा अभी तक इसकी शुरू होने की तिथि निर्धारित नहीं की गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग -73 के किमी 86.20 से किमी 99.20 (चारमाडी घाट) तक के शेष खंड के सुधार और उन्नयन कार्य को वार्षिक योजना 2024-25 में शामिल किया गया है।

शिमोगा-मंगलौर खंड पर राष्ट्रीय राजमार्ग-169 के माला गेट से करकला तक 4-लेन बनाने का कार्य 30.03.2022 को 177.94 करोड़ रुपये की धनराशि से स्वीकृत किया गया है और यह कार्य वर्तमान वास्तविक प्रगति 65% के साथ प्रगति पर है। यह कार्य फरवरी, 2025 में पूरा किए जाने के लिए निर्धारित है।

अगुम्बे घाट पर राष्ट्रीय राजमार्ग -169ए पर पेव्ड शेल्डर के साथ दो लेन में चौड़ीकरण का कार्य वार्षिक योजना 2024-25 में शामिल किया गया है।

परियोजना की नियत तिथि परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति और वित्तीय मंजूरी, बोली प्रक्रिया के पूरा होने और परियोजना राजमार्ग की आवश्यक लंबाई में भूमि के वास्तविक कब्जे के बाद दी जाती है। किसी परियोजना की निर्माण अवधि परियोजना के आकार, प्रकृति और जटिलता के आधार पर तय की जाती है और बोलियां आमंत्रित करते समय प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) में उसे इंगित किया जाता है।

*****